बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.स./107/2019-309

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 23/3/2020

विषय – बॉंका जिलान्तर्गत पपहरनी झील, अकाश गंगा एवं मंदार पर्वत के विकास कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.72 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि बॉंका जिलान्तर्गत पपहरनी झील, अकाश गंगा एवं मंदार पर्वत के विकास कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.72 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य अभियन्ता, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना का प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तावित परियोजना निर्माण स्थल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या C/P-F-10165/52-5850-R दिनांक 29.12.1952 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। बॉंका जिलान्तर्गत पपहरनी झील, अकाश गंगा एवं मंदार पर्वत के विकास कार्य में 0.72 हे० वन भूमि के अपयोजन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, बॉंका एवं वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर द्वारा किया गया है।

3. परियोजना निर्माण के क्रम में अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा, Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, बॉंका एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, बॉंका द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 एवं अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, बॉंका द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान से दूरस्थ है।

5. **वन प्रमंडल पदाधिकारी, बॉंका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। वर्त्तमान में कार्य बंद है।**

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, बॉंका द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। जिला पदाधिकारी, बॉंका द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र विषयाधीन परियोजना के लिये उपयुक्त नहीं है। जिला पदाधिकारी, बॉंका से उपयुक्त FRA, 2006 प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर Stage-I के अनुपालन के साथ भेजी जायेगी।

7. समाहर्त्ता, बाँका के पत्रांक 1290/रा० दिनांक 12.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि (0.72 हे०) मौजा गोखुला–कुमरभाग थाना नं० 471/2019, खाता नं० 10 खेसरा नं० 193 में 2.50 एकड़ गैर मजरूआ खास, परती किस्म की भूमि को चिन्हित कर उपलब्ध कराई गयी है।

8. चिन्हित गैर वन भूमि पर, क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.72 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,50,720/– (रूपये चार लाख पचास हजार सात सौ बीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित गैर वन भूमि 1.00 हे० पर रू० 15,56,009/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2019 में करने के कारण Panel NPV मद में NPV मद की 20% राशि एवं 12% ब्याज के साथ कुल रू० 1,00,961/– मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

23.3.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।